कृषि प्रौद्योगिकी प्रबन्ध अभिकरण (आत्मा)

विकास भवन, समाहरणालय, पटना

Websit :www.atmapatna.com,Email : atmapatna@rediffmail.com,Telefax-0612-2219166

दिनांक 16.12.2019 को उप विकास आयुक्त–सह–उपाध्यक्ष, आत्मा, पटना की अध्यक्षता में नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन एण्ड टेक्नोलोजी (NMAET) के अधीन संचालित सब–मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन (आत्मा योजना) तथा आत्मा योजना अन्तर्गत **22 (बाइस) प्रखण्ड तकनीकी प्रबंधक, 66 (छियासठ) सहायक तकनीकी प्रबंधक** तथा राज्य योजना अन्तर्गत प्रखण्ड स्तर पर **16 (सोलह) लेखापाल** के रिक्त पदों पर संविदा के आधार पर नियोजन हेतु दिनांक 07.08.2019 से 21.08.2019 तक **प्रखण्ड तकनीकी प्रबंधक के 95, सहायक तकनीकी प्रबंधक के 542 एवं लेखापाल के 248** अभ्यर्थियों के ओपेन काउन्सिलिंग में भाग लेने के पश्चात ड्राफ्ट मेरिट लिस्ट का प्रकाशन उपरांत दिनांक 11.09.2019 से 18.09.2019 तक कार्यालय को प्राप्त हुई दावा/आपत्ति का जिला स्तरीय चयन समिति की निराकरण हेतु बैठक की कार्यवाही निम्नवत है:–

(क) पदनाम– प्रखण्ड तकनीकी प्रबंधक

क्रम सं0	अभ्यर्थी का नाम एवं ड्राफ्ट मेरिट लिस्ट का क्रमांक	पिता का नाम	आवेदन संख्या	दावा/आपति	दावा/आपति निराकरण प्रस्ताव	निराकरण/निर्णय
1	अन्नपूर्णा कुमारी ड्राफ्ट मेरिट क0सं0– 36	श्री कपिलदेव शर्मा	BTM/0005706	बिहार राज्य के स्थायी निवासी के लिए अतिरिक्त अंक से संबंधित।	अभ्यर्थी द्वारा दिनांक 07.08.2019 को काउन्सिलिग में आवासीय प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रधान सचिव कृषि विभाग का पत्रांक 993 दिनांक 22.07.2019 के अनुसूची 1 के क्रम संख्या 7 के मार्गदर्शन कंडिका 4– अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा लेकिन आवासीय प्रमाण पत्र के स्थान पर आधार कार्ड पहचान पत्र मान्य नहीं होगा। इसके लिए अलग से समय प्रदान नहीं किया जा सकता है।	काउन्सिलिग में आवासीय प्रमाण पत्र प्रस्तुत नही करने के कारण अतिरिक्त अंक नही दिया जाएगा।
	विनय कुमार ड्राफ्ट मेरिट क0सं0– 32	सुरेन्द्र प्रसाद सिंह	BTM/0005924	अनुभव अंक एवं उच्च शैक्षणिक योग्यता स्नातकोत्तर के लिए अंक	अभ्यर्थी का उच्च शैक्षणिक योग्यता एम. बी.ए. (एग्रीबिजनेस) है। प्रधान सचिव कृषि विभाग का पत्रांक 993 दिनांक 22.07.2019 के	वांछित अनुभव नही रहने के कारण अभ्यर्थिता रदद की जाती है।

Scanned by CamScanner

				से संबंधित।	कंडिका – 4 एवं अनुसूची 1 के क्रम संख्या 6 के मार्गदर्शन कंडिका – 14 कार्य अनुभव में अधिमान्यता नहीं दिया जाएगा। अतः केवल स्नातक वानीकी होने के कारण निर्धारित अनुभव 3 वर्ष वांछनीय है। जो अभ्यर्थी द्वारा पूरा नहीं किया जा रहा है।	
3	भास्कर कुमार ड्राफ्ट मेरिट क्र0सं0– 87	स्व0 अर्जून सिंह	BTM/0042061	आवासीय प्रमाण पत्र से संबंधित।	अभ्यर्थी द्वारा दिनांक 09.08.2019 को काउन्सिलिंग में आवासीय प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रधान सचिव कृषि विभाग का पत्रांक 993 दिनांक 22.07.2019 के अनुसूची 1 के क्रम संख्या 7 के मार्गदर्शन कंडिका 4– अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा लेकिन आवासीय प्रमाण पत्र के स्थान पर आधार कार्ड पहचान पत्र मान्य नहीं होगा। इसके लिए अलग से समय प्रदान नहीं किया जा सकता है।	काउन्सिलिग में आवासीय प्रमाण पत्र प्रस्तुत नही करने के कारण अतिरिक्त अंक नही दिया जाएगा।
4	सुरेन्द्र तिवारी ड्राफ्ट मेरिट क्र0सं0– 80	राम नारायण तिवारी	BTM/0049345	जन्म तिथि एवं दी गई अंक सुधार से संबंधित।	अभ्यर्थी का ड्राफ्ट मेरिट लिस्ट में जन्म तिथि 08.05.1966 के स्थान पर 05.01.1966 होना चाहिए। पी.पी.सी.एल. में कार्य अनुभव का प्रमाण पत्र नहीं दिया गया केवल सर्विस प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है तथा अभ्यर्थी द्वारा उक्त संस्थान का बंद होने के संबंध जानकारी दी गई है। जिला कृषि पदाधिकारी, रोहतास द्वारा निर्गत विषय वस्तु विशेषज्ञ के पद पर दो वर्ष, ग्यारह माह एवं	वांछित अनुभव नही होने के कारण अभ्यर्थिता रदद की जाती है।

Scanned by CamScanner

					ग्यारह दिन का कार्य अनुभव प्रस्तुत किया गया है जो कृषि स्नातक होने के कारण तीन वर्ष का वांछित अनुभव से कम है।	
5	राजेश मिश्रा ड्राफ्ट मेरिट क0सं0– 82	अखिलेन्द्र मणी मिश्रा	BTM/0028327	अनुभव अंक से संबंधित।	अभ्यर्थी का अनुभव सेवा प्रदाता कम्पनी द्वारा नियोजन का है। प्रधान सचिव कृषि विभाग का पत्रांक 993 दिनांक 22.07.2019 के अनुसूची 1 के क्रम संख्या 6 के मार्गदर्शन कंडिका 3– सेवा प्रदाता कम्पनी द्वारा नियोजित कर्मियों को विभाग द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र के लिए अंको में अधिमान्यता नहीं दिया जाएगा।	वांछित अनुभव नही रहने के कारण अभ्यर्थिता रदद की जाती है।
6	बागेश कुमार चौधरी ड्राफ्ट मेरिट क0सं0– 94	यदुनन्दन चौधरी	BTM/0060543	बी.एस.सी. सील्टेक की मान्यता से संबंधित।	अभ्यर्थी बी.एस.सी. सील्टेक में स्नातक है जबकि बी.टी.एम. पद की प्रकिया एवं शर्तो के अनुसारकृषि/उद्यान/ कृषिअभियंत्रण/वानिकी/ पशु चिकित्सा एवं पशुविज्ञान/मात्स्यकी/ गव्य प्रौद्योगिकी विषय में स्नातक की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निर्धारित है। बी.एस.सी. सील्टेक की मान्यता नही दी जा सकती है।	वांछित योग्यता नही रहने के कारण अभ्यर्थिता रदद की जाती है।
7	राजीव कुमार ड्राफ्ट मेरिट क0सं0– 22	स्व0 राम स्वरूप सिंह	BTM/0021274	आठ वर्ष अनुभव गणना से संबंधित।	अभ्यर्थी द्वारा सत्यापन दल को उपलब्ध कराई गई अनुभव प्रमाण पत्र के अनुसार कुल अनुभव 07 वर्ष 01 माह 14 दिन की गणना की गई है। निर्धारित विषय में स्नातक के लिए तीन वर्ष की वांछित योग्यता के उपरांत अतिरिक्त चार वर्ष के लिए दो अंक प्रति वर्ष की दर से आठ अंक दिया गया है।	अनुभव वर्ष की गणना कर सही अंक लाभ दिया गया है।

Scanned by CamScanner

	राहुल कुमार वर्मा ड्राफ्ट मेरिट क0सं0– 16	दिलीप कुमार वर्मा	BTM/0040803	आरक्षण कोटि निर्धारण से संबंधित।	अभ्यर्थी पिछड़ा वर्ग का आवेदक है परंतु काउन्सिलिंग के समय अन्य पिछड़ा वर्ग का जाति प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया गया है। कृपया इस संबंध में निर्णय लिया जा सकता है।	आरक्षण कोटि पिछड़ा वर्ग मान्य है।
9	प्रितम कुमार चौधरी ड्राफ्ट मेरिट क0सं0–95	स्व0 राज किशोर प्रसाद चौधरी	BTM/0042420	बी.एस.सी. सील्टेक की मान्यता से संबंधित।	अभ्यर्थी बी.एस.सी. सील्टेक में स्नातक है जबकि बी.टी.एम. पद की प्रक्रिया एवं शर्तों के अनुसार कृषि/उद्यान/कृषि अभियंत्रण/वानिकी/पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान/मात्स्यकी/गव्य प्रौद्योगिकी विषय में स्नातक की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निर्धारित है। बी.एस.सी. सील्टेक की मान्यता नही दी जा सकती है।	वांछित योग्यता नही रहने के कारण अभ्यर्थिता रद्द की जाती है।

(ख) पदनाम– सहायक तकनीकी प्रबंधक

क्रम सं0	अभ्यर्थी का नाम एवं ड्राफ्ट मेरिट लिस्ट का क्रमांक	पिता का नाम	आवेदन संख्या	दावा/आपति	दावा/आपति निराकरण प्रस्ताव	अभ्युक्ति
1	सौरभ कुमार ड्राफ्ट मेरिट क0सं0– 280	गोपाल कुमार सिंह	ATM/0028676	आवासीय प्रमाण पत्र से संबंधित।	अभ्यर्थी द्वारा दिनांक 13.08.2019 को काउन्सिलिग में आवासीय प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रधान सचिव कृषि विभाग का पत्रांक 993 दिनांक 22.07.2019 के अनुसूची 1 के क्रम संख्या 7 के मार्गदर्शन कंडिका 4– अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा लेकिन आवासीय प्रमाण पत्र के स्थान पर आधार कार्ड पहचान पत्र मान्य नही होगा। इसके लिए अलग से समय प्रदान नहीं किया जा सकता है।	काउन्सिलिग में आवासीय प्रमाण पत्र प्रस्तुत नही करने के कारण अतिरिक्त अंक नही दिया जाएगा।
2	सौरभ कुमार ड्राफ्ट मेरिट क0सं0– 414	भूपेन्द्र कुमार	ATM/0007048	ड्राफ्ट मेरिट लिस्ट का क्रमांक 414 के	अभ्यर्थी का सत्यापन पिछड़ा वर्ग दिव्यांग मे हुआ है। परंतु ड्राफ्ट	आरक्षण कोटि पिछड़ा वर्ग दिव्यांग की

Scanned by CamScanner

				कोटि में पिछड़ा वर्ग दिव्यांग दर्शाने से संबंधित।	मेरिट लिस्ट में कोटि पिछड़ा वर्ग दिव्यांग नहीं दर्शाया गया है। कृपया कोटि पिछड़ा वर्ग दिव्यांग की मान्यता दी जा सकती है।	मान्यता दी जाती हैं।
3	अभिषेक कुमार सिंह ड्राफ्ट मेरिट क्र0सं0– 306	उमा शंकर सिंह	ATM/0040317	ड्राफ्ट मेरिट लिस्ट का क्रमांक 306 के कोटि में सामान्य वर्ग स्वतंत्रता सेनानी का पोता दर्शाने से संबंधित।	अभ्यर्थी का सत्यापन सामान्य वर्ग स्वतंत्रता सेनानी का पोता में हुआ है। परंतु ड्राफ्ट मेरिट लिस्ट में कोटि सामान्य वर्ग स्वतंत्रता सेनानी का पोता नहीं दर्शाया गया है। कृपया कोटि सामान्य वर्ग स्वतंत्रता सेनानी का पोता की मान्यता दी जा सकती है।	सामान्य वर्ग स्वतंत्रता सेनानी का पोता की मान्यता दी जाती हैं।
4	मनीष कुमार ड्राफ्ट मेरिट क्र0सं0– 356	अजय कुमार सिंह	ATM/0039228	ड्राफ्ट मेरिट लिस्ट का क्रमांक 356 के कोटि सामान्य वर्ग दिव्यांग दर्शाने से संबंधित।	अभ्यर्थी का सत्यापन सामान्य वर्ग दिव्यांग में हुआ है। परंतु ड्राफ्ट मेरिट लिस्ट में कोटि सामान्य वर्ग दिव्यांग नहीं दर्शाया गया है। कृपया कोटि सामान्य वर्ग दिव्यांग की मान्यता दी जा सकती है।	सामान्य वर्ग दिव्यांग की मान्यता दी जाती है।
5	शेफाली प्रिया ड्राफ्ट मेरिट क्र0सं0--82	अरूण कुमार ठाकुर	ATM/0031931	ड्राफ्ट मेरिट लिस्ट का क्रमांक 82 में जन्म तिथि सुधार से संबंधित।	अभ्यर्थी का ड्राफ्ट मेरिट लिस्ट में जन्म तिथि 05.10.1994 के स्थान पर 15.10.1994 किया जा सकता है।	अभ्यर्थी की जन्म तिथि 15.10.1994 किया जाता है।
6	मेघा कृति ड्राफ्ट मेरिट क्र0सं0--11	मदनजीत सिंह	ATM/0046473	ड्राफ्ट मेरिट लिस्ट का क्रमांक 11 में नाम सुधार से संबंधित।	अभ्यर्थी का ड्राफ्ट मेरिट लिस्ट में नाम मेघा कृति अंकित है जिसका सुधार कर मेघा कीर्ति किया जा सकता है।	अभ्यर्थी का नाम मेघा कीर्ति किया जाता है।
7	रविकांत कुमार ड्राफ्ट मेरिट क्र0सं0--141	सुभाष चौधरी	ATM/0044012	ड्राफ्ट मेरिट लिस्ट का क्रमांक 141 में पिता नाम में सुधार से संबंधित।	अभ्यर्थी का ड्राफ्ट मेरिट लिस्ट में पिता का नाम सुभाष चौधरी अंकित है जिसका सुधार कर सुबाष चौधरी किया जा सकता है।	अभ्यर्थी के पिता का नाम सुबाष चौधरी किया जाता है।
8	शालू कुमारी ड्राफ्ट मेरिट क्र0सं0--123	बिरेन्द्र प्रसाद गुप्ता	ATM/0011745	ड्राफ्ट मेरिट लिस्ट का क्रमांक 123 के कोटि पिछड़ा वर्ग दिव्यांग दर्शाने से संबंधित।	अभ्यर्थी का सत्यापन पिछड़ा वर्ग दिव्यांग में हुआ है। परंतु ड्राफ्ट मेरिट लिस्ट में कोटि पिछड़ा वर्ग दिव्यांग नहीं दर्शाया गया है। कृपया कोटि पिछड़ा वर्ग दिव्यांग की मान्यता दी	आरक्षण कोटि पिछड़ा वर्ग दिव्यांग की मान्यता दी जाती हैं।

Scanned by CamScanner

	नेहा कुमारी ड्राफ्ट मेरिट क0सं0–184	डॉ0 उपेन्द्र नारायण दिवाकर	ATM/0018258	ड्राफ्ट मेरिट लिस्ट का कमांक 184 में पता के पिन कोड में सुधार से संबंधित।	जा सकती है। अभ्यर्थी का ड्राफ्ट मेरिट लिस्ट में पता में पिन कोड 800023 अंकित है जिसका सुधार कर 852213 किया जा सकता है।	पिन कोड सुधार कर जाता है।
10	राजीव कुमार ड्राफ्ट मेरिट क0सं0–392	रविन्द्र प्रसाद सिंह	ATM/0040692	ड्राफ्ट मेरिट लिस्ट का कमांक 392 में पता के ग्राम का नाम में सुधार से संबंधित।	अभ्यर्थी का ड्राफ्ट मेरिट लिस्ट में पता में ग्राम खरफा अंकित है जिसका सुधार कर खपुरा किया जा सकता है।	पता में ग्राम खपुरा किया जाता है।
11	अभिषेक कुमार ड्राफ्ट मेरिट क0सं0–460	कुमोद प्रसाद देव	ATM/0009751	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का आरक्षण का लाभ से संबंधित।	प्रधान सचिव कृषि विभाग का पत्रांक 993 दिनांक 22.07.2019 के अनुसूची 1 के क्रम संख्या 12 के मार्गदर्शन में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधन विज्ञापन में वर्णित आरक्षण के अनुसार ही प्रदान की जाएगी।	विज्ञापन में वर्णित आरक्षण ही प्रदान किया जाएगा।
12	सुदाती कुमारी ड्राफ्ट मेरिट क0सं0–196	मनिष कुमार सिंह	ATM/0047380	आवासीय प्रमाण पत्र से संबंधित।	अभ्यर्थी द्वारा दिनांक 13.08.2019 को काउन्सिलिग में आवासीय प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रधान सचिव कृषि विभाग का पत्रांक 993 दिनांक 22.07.2019 के अनुसूची 1 के कम संख्या 7 के मार्गदर्शन कंडिका 4– अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा लेकिन आवासीय प्रमाण पत्र के स्थान पर आधार कार्ड पहचान पत्र मान्य नहीं होगा। इसके लिए अलग से समय प्रदान नहीं किया जा सकता है।	काउन्सिलिग में आवासीय प्रमाण पत्र प्रस्तुत नही करने के कारण अतिरिक्त अंक नही दिया जाएगा।
13	जोगेन्द्र सोरेन ड्राफ्ट मेरिट क0सं0–32	ब्रजनंदन सोरेन	ATM/0051517	ड्राफ्ट मेरिट लिस्ट का कमांक 32 में पता के ग्राम एवं पोस्ट ऑफिस का नाम में सुधार	अभ्यर्थी का ड्राफ्ट मेरिट लिस्ट में पता में ग्राम परमानंदपुर, पो0–बरहरा थाना–हवेली खडकपुर अंकित है जिसका सुधार कर ग्राम – परमानन्दपुर, पो0–बनहरा, थाना–	पता में ग्राम परमानन्दपुर, पो0–बनहरा, थाना–हवेली खडगपुर किया जाता है।

Scanned by CamScanner

	विकाश गाँधी ड्राफ्ट मेरिट क0सं0–70	बैजनाथ प्रसाद	ATM/0012632	से संबंधित।	हवेली खड्गपुर किया जा सकता है।	
				अभ्यर्थी का आरक्षण कोटि निर्धारण से संबंधित।	अभ्यर्थी अत्यंत पिछड़ा वर्ग का आवेदक है परंतु काउन्सिलिंग के समय अत्यंत पिछड़ा वर्ग का सक्षम प्राधिकार से निर्गत जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत न कर, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, विक्रमगंज द्वारा निर्गत पिछड़ा वर्ग का जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया जिसके कारण अभ्यर्थी की मान्यता पिछड़ा वर्ग में दिया जा सकता है।	आरक्षण कोटि पिछड़ा वर्ग किया जाता हैं।
15	बागेश कुमार चौधरी ड्राफ्ट मेरिट क0सं0–530	यदुनन्दन चौधरी	ATM/0001655	बी.एस.सी. सील्टेक की मान्यता से संबंधित।	अभ्यर्थी बी.एस.सी. सील्टेक में स्नातक है जबकि ए.टी.एम. पद की प्रक्रिया एवं शर्तो के अनुसार कृषि / उद्यान / कृषि अभियंत्रण / वानिकी / पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान / मात्स्यकी / गव्य प्रौद्योगिकी विषय में स्नातक की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निर्धारित है। बी.एस.सी. सील्टेक की मान्यता नही दी जा सकती है।	वांछित योग्यता नही रहने के कारण अभ्यर्थिता रदद की जाती है।
16	प्रितम कुमार चौधरी ड्राफ्ट मेरिट क0सं0–523	स्व0 राज किशोर प्रसाद चौधरी	ATM/0011403	बी.एस.सी. सील्टेक की मान्यता से संबंधित।	अभ्यर्थी बी.एस.सी. सील्टेक में स्नातक है जबकि ए.टी.एम. पद की प्रक्रिया एवं शर्तो के अनुसार कृषि / उद्यान / कृषि अभियंत्रण / वानिकी / पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान / मात्स्यकी / गव्य प्रौद्योगिकी विषय में स्नातक की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निर्धारित है। बी.एस.सी. सील्टेक की मान्यता नही दी जा सकती है।	वांछित योग्यता नही रहने के कारण अभ्यर्थिता रदद की जाती है।
17	कुमारी सोनिका ड्राफ्ट मेरिट क0सं0–142	अरूण कुमार	ATM/0045943	आरक्षण कोटि निर्धारण से संबंधित।	अभ्यर्थी अत्यंत पिछड़ा वर्ग की आवेदिका है परंतु काउन्सिलिंग के समय अन्य पिछड़ा वर्ग का जाति प्रमाण पत्र	आरक्षण कोटि पिछड़ा वर्ग किया जाता हैं।

Scanned by CamScanner

					उपलब्ध कराया गया है। कृपया इस संबंध में निर्णय लिया जा सकता है।	
18	मेनका रंजन	अवधेश शर्मा	ATM/0007171	काउन्सिलिंग कराने से संबंधित।	आवेदिका मेनका रंजन ए.टी.एम. पद की काउन्सिलिंग हेतु निर्धारित तिथि 17.08.2019 को अनुपस्थित रहने के उपरांत भी काउन्सिलिंग कराने की मॉग की जा रही है। ज्ञातव्य है कि निर्धारित तिथि के बाद काउन्सिलिंग नहीं कराया जा सकता है।	निर्धारित तिथि के बाद काउन्सिलिग नही कराया जा सकता है। दावा अस्वीकृत किया जाता है।
19	स्वाति प्रिया क्रम स0 –198	सुधीर कूमार सिंह	OFF LINE	C.W.J.C NO-24987/2018 एवं निदेशक बामेति, बिहार, पटना के आदेश के आलोक में OFF LINE आवेदकों की काउनसेलिंग के पश्चात मेधा सूची निर्धारण से सबंधित	निदेशक, बामेती, बिहार,, पटना के पत्रांक 1780 दिनांक 04.12.2019 के अन्तर्गत माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा ऑरल आर्डर में दिए गए निदेश के आलोक में सहायक तकनीकी प्रबधंक पद के संविदा आधारित नियोजन के लिए ऑफ लाइन से प्राप्त आवेदन पत्रों का अनुपालन करते हुए अन्तिम मेधा सूची के निर्धारण में अभ्यार्थी को प्रतीक्षा में रखा जाएगा	अन्तिम मेधा सूची में नाम सम्मिलित किया जाएगा परन्तु माननीय उच्च न्यायालय के अन्तिम आदेश के आलोक में अग्रेत्तर कार्रवाई की जाएगी।
20	मन्टुन कुमार क्रम स0 –252	अरूण कुमार सिंह	OFF LINE	C.W.J.C NO-24987/2018 एवं निदेशक बामेति, बिहार, पटना के आदेश के आलोक में OFF LINE आवेदकों की काउनसेलिंग के पश्चात मेधा सूची निर्धारण से सबंधित	निदेशक, बामेती, बिहार,, पटना के पत्रांक 1780 दिनांक 04.12.2019 के अन्तर्गत माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा ऑरल आर्डर में दिए गए निदेश के आलोक में सहायक तकनीकी प्रबधंक पद के संविदा आधारित नियोजन के लिए ऑफ लाइन से प्राप्त आवेदन पत्रों का अनुपालन करते हुए अन्तिम मेधा सूची के निर्धारण में अभ्यार्थी को प्रतीक्षा में रखा जाएगा	अन्तिम मेधा सूची में नाम सम्मिलित किया जाएगा परन्तु माननीय उच्च न्यायालयं के अन्तिम आदेश के आलोक में अग्रेत्तर कार्रवाई की जाएगी।
21	रंजीत कुमार रंजन क्रम स0–75	कामेश्वर राय	OFF LINE	C.W.J.C NO-24987/2018 एवं निदेशक बामेति, बिहार,	निदेशक, बामेती, बिहार,, पटना के पत्रांक 1780 दिनांक 04.12.2019 के	अन्तिम मेधा सूची में नाम सम्मिलित किया जाएगा

Scanned by CamScanner

				पटना के आदेश के आलोक में OFF LINE आवेदकों की काउनसेलिंग के पश्चात मेधा सूची निर्धारण से संबधित	अन्तर्गत माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा ऑरल आर्डर में दिए गए निदेश के आलोक में सहायक तकनीकी प्रबंधक पद के संविदा आधारित नियोजन के लिए ऑफ लाइन से प्राप्त आवेदन पत्रों का अनुपालन करते हुए अन्तिम मेधा सूची के निर्धारण में अभ्यार्थी को प्रतीक्षा में रखा जाएगा	परन्तु माननीय उच्च न्यायालय के अन्तिम आदेश के आलोक में अग्रेत्तर कार्रवाई की जाएगी।

(ग) पदनाम– लेखापाल

कम सं0	अभ्यर्थी का नाम एवं ड्राफ्ट मेरिट लिस्ट का कमांक	पिता का नाम	आवेदन संख्या	दावा/आपति	दावा/आपति निराकरण प्रस्ताव	निराकरण
1	सोनी कुमारी ड्राफ्ट मेरिट क0सं0–27	राज कुमार	ACB/0049224	मैट्रिक में कुल अंक 600 में प्राप्त अंक 365 की गणना प्रतिशत के स्थान पर कुल अंक 500 में प्राप्त अंक 365 का प्रतिशत निर्धारण करते हुए काउन्सिलिंग उपरांत ड्राफ्ट मेरिट लिस्ट का कमांक 27 में अंक 60.74 के स्थान पर 61.40 निर्धारित करने से संबंधित।	कृपया 0.66 अंक विसंगति का निर्णय लिया जा सकता है।	अभ्यर्थी का मैट्रिक अंक की गणना कुल पूर्णाक 600 अन्तर्गत प्राप्त अंक 365 में की गई है, जो सही है।
2	स्तुति कुमार ड्राफ्ट मेरिट क0सं0--01	नेपाली साव	ACB/0001698	ड्राफ्ट मेरिट लिस्ट का कमांक 01 में पता सुधार से संबंधित।	अभ्यर्थी का ड्राफ्ट मेरिट लिस्ट में पता नेपाली साव, नजदीक हरिशचंद्रा सत्यम पुरानी झील रोड, जिला–नवादा पिन–805110 अंकित है जिसका सुधार कर पता–नेपाल साव, नजदीक हरिशचंद्र स्टेडियम, पुरानी जेल रोड, नवादा जिला– नवादा पिन – 805110 किया जा सकता है।	अभ्यर्थी का पता नेपाल साव, नजदीक हरिशचंद्र स्टेडियम, पुरानी जेल रोड, नवादा जिला– नवादा पिन – 805110 किया जाता है।

Scanned by CamScanner

	अविनाश कुमार ड्राफ्ट मेरिट क0सं0–180	तनिक प्रसाद शर्मा	ACB/0052991	ड्राफ्ट मेरिट लिस्ट का कमांक 180 का आवेदन करते समय अनुभव बियाडा के जगह वाटिका लिखने के पश्चात गलती सुधार से संबंधित।	अभ्यर्थी द्वारा आवेदन में वाटिका ऑर्गेनाइजेशन का अनुभव दर्शाया गया है परंतु अनुभव प्रमाण पत्र बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकारी (बियाडा) का दिया गया है जिसका निराकरण किया जा सकता है।	अभ्यर्थी का अनुभव प्रमाण पत्र बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकारी (बियाडा) का मान्य कर अनुभव अंक का लाभ देते हुए लेखापाल पद हेतू अभ्यर्थिता मान्य किया जाता है।
4	कुमार सत्यम ड्राफ्ट मेरिट क0सं0–121	वरूण कुमार	ACB/0057953	ड्राफ्ट मेरिट लिस्ट का कमांक 121 में काउन्सिलिंग के समय वर्तमान अनुभव प्रमाण पत्र एवं ऑनलाईन आवेदन के समय किया गया अनुभव प्रमाण पत्र की सत्यता से संबंधित।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन के समय का अनुभव प्रमाण पत्र एवं काउन्सिलिंग के समय वर्तमान अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न कर दोनों अनुभव प्रमाण पत्र प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पतरघट, सहरसा द्वारा निर्गत होने की सत्यता के संबंध में लिखित आवेदन में दर्शाया गया है जिसका निराकरण किया जा सकता है।	ऑनलाईन अपलोड अनुभव प्रमाण पत्र एवं काउन्सिलिंग के समय प्रस्तुत अनुभव प्रमाण दोनों अनुभव प्रमाण पत्र प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पतरघट, सहरसा द्वारा निर्गत है। अतः अनुभव का अंक का लाभ दिया जाता है।
5	मोनिका कुमारी ड्राफ्ट मेरिट क0सं0–45	शिवा कुमार लाल दास	ACB/0041938	अनुभव से संबंधित।	प्रधान सचिव कृषि विभाग का पत्रांक 993 दिनांक 22.07.2019 के अनुसूची 1 के कम संख्या 4. लेखापाल पद के लिए प्रतिष्ठित निजी संस्थान के लिए अनुभव अंक के संबंध में मार्गदर्शन है कि संविदा आधारित नियोजन की प्रकिया एवं शर्तें की कंडिका 11 (ख) में अंकित है कि यह अधिमान्यता केवल बामेति / आत्मा / सरकारी / अर्द्धसरकारी विभाग / अर्द्धसरकारी प्राधिकार / अर्द्धसरकारी निगम / अर्द्धसरकारी बोर्ड में अनुभव प्राप्त अभ्यर्थियों को हीं अंको में अधिमान्यता दिए जाने का प्रावधान किया गया	वांछित अनुभव नही रहने के कारण अभ्यर्थिता रदद की जाती है।

Scanned by CamScanner

					है।	
	मो0 अजहर ड्राफ्ट मेरिट क0सं0--112	मो0.असगर	ACB/0015155	बी0कॉम एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र की छायाप्रति काउन्सिलिंग के समय प्रस्तुत करने से संबंधित।	अभ्यर्थी द्वारा बी0 कॉम का मूल प्रमाण पत्र एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग का मूल प्रमाण पत्र काउन्सिलिंग के समय प्रस्तुत नहीं किया गया तथा उक्त मूल प्रमाण पत्रों को ससमय प्रस्तुत करने से संबंधित आवेदन दिया गया है परंतु मूल प्रमाण--पत्र अप्राप्त है। अतः अभ्यर्थिता रद्द की जा सकती है।	बी0 कॉम0 एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग का मूल प्रमाण--पत्र ससमय प्रस्तुत नहीं करने के कारण अभ्यर्थिता रद्द किया जाता है।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त की गई ।

सहायक निदेशक,उद्यान
पटना

जिला पशुपालन पदाधिकारी
पटना

परियोजना निदेशक
आत्मा, पटना

जिला कृषि पदाधिकारी
पटना

निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन
जि0ग्रा0 वि0 अभि0,पटना

उप विकास आयुक्त
पटना

जिला पदाधिकारी
पटना

Scanned by CamScanner